

बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम,  
कौटिल्य नगर, पटना-14.

फोन नं०- 0612-2223727  
फैक्स नं०-0612-2224529

(एकल बीड पद्धति)

अति अल्पकालीन ई०-निविदा सूचना संख्या- 11/2021-22

- 1 विज्ञापनदाता का पदनाम एवं पता : मुख्य अभियंता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, मुख्यालय, पटना।
- 2 निविदा आमंत्रित करने की तिथि : दिनांक- 17-08-2021
- 3 निविदा कागजात प्राप्त करने (डाउनलोड करने) की अंतिम तिथि एवं समय : दिनांक- 26-08-2021 से दिनांक- 06-09-2021 को 17:00 बजे तक।
- 4 निविदा जमा करने (अप लोड करने) की अंतिम तिथि एवं समय : दिनांक- 26-08-2021 से दिनांक- 08-09-2021 को 17:00 बजे तक।
- 5 वितीय बीड खोलने की तिथि एवं समय : दिनांक- 10-09-2021 को 16:00 बजे।
- 6 (क) प्री बीड मिटिंग की तिथि,समय एवं स्थान : दिनांक- 27-08-2021 को 15:00 बजे।  
मुख्य अभियंता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, मुख्यालय, पटना के कार्यालय कक्ष में।  
कडिका-20 के अनुसार

(ख) शपथ पत्र मूल में, परिमाण-विपत्र का मूल्य तथा विधिवत रूप में अग्रधन की देय राशि जमा करने की तिथि, समय एवं स्थान

- 7 निविदा पत्र बिक्री का स्थान : [www.eproc.bihar.gov.in](http://www.eproc.bihar.gov.in) पर।
- 8 निविदा की वैधता अवधि : 120 दिन।
- 9 कार्य का विवरण :-

क्र. सं.	कार्य का नाम	कार्य० अभि०, बि०पु०भ०नि०नि०, कार्य प्रमण्डल	परिमाण विपत्र की राशि (लाख रू० में)	अग्रधन की राशि (रू० में)	निविदा कागजात का मूल्य (रू० में)	निविदा प्रसंस्करण शुल्क रू० में	कार्य समाप्ति की अवधि
1.	खगड़िया जिलान्तर्गत पुलिस केन्द्र खगड़िया में 4 अदद स्वान दस्ता भवन का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य।	दरभंगा	27.67	55400	5000	1180	4 माह
2.	मधुबनी जिलान्तर्गत पुलिस केन्द्र मधुबनी में 4 अदद स्वान दस्ता भवन का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य।	दरभंगा	27.74	55500	5000	1180	4 माह
3.	नालन्दा जिलान्तर्गत पुलिस अकादमी राजगीर में Lighting Arrestor का निर्माण कार्य। (अवशेष कार्य) (द्वितीय पुर्ननिविदा)	राजगीर प्रमण्डल	31.01	62100	5000	1180	3 माह
4.	मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत गायघाट थाना में 10 महिला सिपाही बैरक का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य। (एस०सी०ए० योजनान्तर्गत) (प्रथम पुर्ननिविदा)	मुजफ्फरपुर कैम्प हाजीपुर	34.53	69100	5000	1180	4 माह

10. निविदा स्वीकृत करनेवाले पदाधिकारी का पदनाम एवं पता:- सक्षम प्राधिकार

11. कोई भी संवेदक जो समुचित श्रेणी में निबंधित हो निविदा में भाग ले सकते हैं (स्थानीय क्षेत्र के लिए निबंधित निबंधन सिर्फ स्थानीय कार्य के लिए मान्य होगा), परन्तु उक्त कार्य का कार्य आवंटन प्राप्त होने के बाद बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम में समुचित श्रेणी में निबंधन करना अनिवार्य होगा। अगर किसी संवेदक को पूर्व में निगम से कार्य किसी अन्य विभाग के निबंधन पर आवंटित हुआ है तथा उनके द्वारा अभी तक बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम में निबंधन नहीं कराया गया है तो वैसे संवेदक निविदा में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे।

कृ०पु०उ०. 2/

*(Handwritten signatures and marks)*

12. विद्युतीकरण कार्य सहित कार्य की निविदा के लिए विद्युतीकरण कार्य का लाईसेंस होना अनिवार्य होगा, विद्युतीकरण कार्य के संवेदक को सब कांट्रैक्टर के रूप में रखकर भी निविदा में भाग लिया जा सकता है जिसके लिए उभयपक्ष द्वारा इस आशय का शपथ-पत्र मूल में समर्पित करना अनिवार्य होगा । सिर्फ विद्युतीकरण कार्य के लिए विद्युतीकरण कार्य के स्वयं का लाईसेंस अनिवार्य होगा ।
13. ऐसे संवेदक निविदा में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे :- (i) जिनको वंचित (Debar) किया गया है या जिनका नाम कोर्दा सूची में दर्ज है, (ii) जिन पर निर्मित/निर्माणाधीन भवनों में मुख्यालय से गठित दल द्वारा गुणवत्ता से संबंधित त्रुटियाँ प्रतिवेदित हो।
14. परिमाण विपत्र की राशि अंक गणितीय गणना में स्वीकृति के पश्चात घट/बढ़ सकती है। तदनुसार अग्रधन की राशि भी घट / बढ़ सकती है। निविदा आमंत्रण सूचना एवं परिमाण विपत्र की भाषा सांकेतिक है। समुचित अग्रधन की राशि के अभाव में निविदा अमान्य समझी जायेगी।
15. निविदा केवल ई-निविदा पद्धति के अनुसार [www.eproc.bihar.gov.in](http://www.eproc.bihar.gov.in) पर निष्पादित किया जाएगा। ई-निविदा संबंधित जानकारी, एम/22, बैंक ऑफ इंडिया बिल्डींग, रोड नं०-25, श्री कृष्णानगर, पटना-01 के दुरभाष संख्या -0612 2545306 से प्राप्त किया जा सकता है।
16. ई-निविदा में भाग लेने के इच्छुक संवेदकों को ई-प्रोक्योरमेंट के साथ निबंधन कराना होगा। वेबसाइट पर आवश्यक निबंधन प्रपत्र उपलब्ध है। इस निबंधन से उन्हें user id तथा password मिलेगा। संवेदकों को DSC (Digital Signature Certificates) भी प्राप्त करना होगा। user id, password, DSC एवं इन्टरनेट के उपयोग से ही संवेदक ई-निविदा में भाग ले सकेंगे।
17. निविदा प्रपत्र वेबसाइट पर Tender free View में उपलब्ध है जिसे सिर्फ वेबसाइट से ही प्राप्त (डाउनलोड) किया जा सकता है।
18. निविदा कागजात भरकर वेबसाइट पर ही जमा (अपलोड) किया जा सकेगा। निविदा खुलने की जानकारी वेबसाइट से ही प्राप्त होगी। निविदा संबंधित किसी भी प्रकार का शुद्धि पत्र वेबसाइट पर प्रकाशित किया जायेगा।
19. बीड प्रोसेसिंग फीस एवं सर्विस टैक्स (अप्रतिदेय) का भुगतान संवेदक अनिवार्य रूप से ऑन लाइन विधि यथा Internet Payment Gateway (Credit/Debit Cards) अथवा Internet Banking अथवा NEFT/RTGS Challan के माध्यम से B.S.E.D.C. के Bid-Processing Fee Account में Credit किया जायेगा। ऐसा नहीं करने पर निविदा मान्य नहीं होगा।
20. निविदा डालने के समय सभी प्रमाण-पत्रों की स्वहस्ताक्षरित पठनीय छायाप्रति निविदा कागजातों के साथ संलग्न (अपलोड) करना आवश्यक होगा। निविदा कागजात का मूल्य (जो किसी भी स्थिति में लौटायी नहीं जायेगी) किसी राष्ट्रीयकृत / अनुसूचित बैंक द्वारा निर्गत बैंक ड्राफ्ट के रूप में अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना के पदनाम से पटना में भुगतान होना चाहिए। ई. निविदा से संबंधित कार्यों के परिमाण-विपत्र का मूल्य तथा विधिवत रूप में अग्रधन की देय राशि एवं शपथ पत्र मूल रूप में कार्यपालक अभियंता, संबंधित कार्य प्रमण्डल/अधीक्षण अभियंता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम कार्य अंचल पटना/ मुख्य अभियंता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम पटना, के कार्यालय के लेखा शाखा में, वित्तीय बीड खोलने की तिथि एवं समय तक, जमा करना अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने पर निविदा मान्य नहीं होगा।
21. अग्रधन के रूप में छः/पाँच वर्षीय राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र/बैंक ड्राफ्ट/ किसान विकास पत्र जो संबंधित कार्य प्रमण्डल, कार्यपालक अभियंता के पदनाम से निविदा के बाद की तिथि का विधिवत प्रतिज्ञापित किया हो वैध होगा। अग्रधन के रूप में जमा किये जाने वाले कागजात की सभी प्रति निविदा जमा (अपलोड) करना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने पर निविदा मान्य नहीं होगा। अग्रधन (Earnest Money) की राशि के रूप में जमा डिमान्ड ड्राफ्ट के पीछे निविदाकार का नाम, निविदा सूचना सं० तथा ग्रुप सं० अंकित कर समर्पित किया जाय।
22. निविदा एकल-बीड पद्धति से प्राप्त की जायेगी एवं संबंधित नियम एवं शर्तें लागू रहेगी।
23. कम्पनी एक्ट के तहत निबंधित संवेदक को निविदा के साथ Certificate of Incorporation, Memorandum of Association and Article of Association तथा Partnership firm/ LLP में Partnership Deed संलग्न करना अनिवार्य होगा।
24. कम्पनी एक्ट अथवा साझेदारी अधिनियम के तहत निबंधित संवेदक के अग्रधन की राशि कम्पनी/फर्म के नाम से ही मान्य होगा। ऐसे मामले में व्यक्तिगत नाम से अग्रधन की राशि मान्य नहीं होगी।
25. बिना कारण बताये निविदा या उसके अंश को अस्वीकृत करने/रद्द करने/निविदा तिथि का विस्तार करने का अधिकार सक्षम प्राधिकार को सुरक्षित है।
26. संवेदक कार्य में समुचित अनुसूचित दर एवं बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के मुख्य अभियंता द्वारा अनुमोदित विशिष्टि के अनुसार सामग्रियों का उपयोग/प्रयोग करेंगे।
27. मूल निर्माण कार्य के लिए डिफेक्ट लाईबिलिटी पिरियड 3 (तीन) वर्ष एवं मरम्मत कार्य के लिए 1 (एक) वर्ष का होगा।
28. कुल प्राक्कलित राशि में वास्तविक खर्च का एक प्रतिशत राशि श्रमिकों के लिए कोष (Labour cess) के रूप में बिल भुगतान के समय काट लिया जायेगा। बिहार सरकार खान एवं भूतत्व विभाग के अद्यतन नियमानुसार मालिकाना फीस (Seigniorage Feè) एवं स्वामिस्व (Royalty) की कटौती/वसूली संवेदक के विपत्रों से की जायेगी, तदआलोक खान एवं भूतत्व विभाग में जमा की जायेगी।

*(Handwritten signature and initials)*

29. निविदाकर्ता को सलाह दी जाती है कि अंतिम तिथि के पूर्व ही समय रहते हुए परिमाण विपत्र डाउनलोड एवं निविदा अपलोड कर दें, अन्यथा अंतिम समय में इंटरनेट सेवा बाधित रहने के कारण निविदा नहीं डाले जाने के लिए कोई दावा मान्य नहीं होगा।
30. कार्यदेश के उपरान्त अद्यतन लेबर लाइसेन्स देना अनिवार्य होगा।
31. कार्य की गुणवत्ता के लिए संवेदक पूर्ण रूप से जिम्मेवार (Responsible) होंगे। कार्य की गुणवत्ता की जाँच सरकार से मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से अपने खर्च पर अथवा बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, मुख्यालय में स्थित गुणनियंत्रण प्रयोगशाला में कराना अनिवार्य है।
32. सभी महत्वपूर्ण कागजात (i) परिमाण विपत्र का मूल्य- बैंक ड्राफ्ट के रूप में, (ii) अग्रधन की राशि, (iii) आयकर पैम नं०, (iv) GST निबंधन, (v) उचित श्रेणी का निबंधन प्रमाण-पत्र (vi) जिला पदाधिकारी/ पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त वैध चरित्र प्रमाण-पत्र, (कम्पनी एक्ट के तहत निबंधित कम्पनी के सभी प्रबन्धक का अलग-अलग चरित्र प्रमाण पत्र एवं पार्टनरशिप फार्म में सभी पार्टनर का चरित्र प्रमाण पत्र) तथा (vii) कम्पनी एक्ट के तहत निबंधित संवेदक को निविदा के साथ Certificate of Incorporation, Memorandum of Association and Article of Association तथा Partnership form/ LLP में Partnership Deed निविदा के साथ उपर्युक्त सभी अद्यतन प्रमाण-पत्रों की स्वहस्ताक्षरित पठनीय प्रति अपलोड करना अनिवार्य है, अन्यथा निविदा अमान्य समझी जायेगी। अद्यतन प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन की प्राप्ति रसीद मान्य नहीं होगा। सिर्फ अपलोड किये गये कागजातों पर विचार किया जायेगा। निविदाकार द्वारा समर्पित सभी प्रमाण पत्रों की अवधि निविदा आमंत्रण तिथि तक होना अनिवार्य है।
- नोट:- एकरारनामा के समय अद्यतन जिला पदाधिकारी/ पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त वैध चरित्र प्रमाण पत्र (कम्पनी एक्ट के तहत निबंधित कम्पनी के सभी प्रबन्धक का अलग-अलग चरित्र प्रमाण पत्र एवं पार्टनरशिप फार्म में सभी पार्टनर का चरित्र प्रमाण पत्र) का अभिप्रमाणित छायाप्रति समर्पित करना अनिवार्य होगा।
33. निविदादाता निविदा में भाग लेने से पूर्व कार्य स्थल का अच्छी तरह निरीक्षण कर लेंगे एवं योजना के क्रियान्वयन के दौरान स्थल जनित समस्याओं एवं स्थानीय समस्याओं से भलिभौति अवगत हो लेंगे, इसके आलोक में अपना दर अंकित करेंगे किसी संवेदक द्वारा इस प्रकार की समस्याओं (यथा श्रमबल, निर्माण सामग्रियों, पहुँच पथ, स्थल पर पानी, कार्य स्थल, प्राक्कलन क्वैरी स्थल एवं अन्य कोई स्थानीय समस्या इत्यादि) के निराकरण हेतु अतिरिक्त दावा/क्षतिपूर्ति दावा मान्य नहीं होगा। क्षेत्रीय अभियंताओं के द्वारा इस तरह के दावा को उनके स्तर से ही अस्वीकृत / अमान्य कर दिया जायेगा।
34. भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक 566(भ) दिनांक 17.01.2020 के आलोक में प्रतिशत दर निविदा पद्धति में निविदित दर की न्यूनतम सीमा को तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाता है साथ ही परिमाण विपत्र की दर से कम उद्धृत दर वाले निविदा के लिए पथ निर्माण विभाग का अधिसूचना सं० 448/पटना दिनांक 16.01.2020 अन्तर्गत Additional Performance Guarantee लेने का प्रावधान किया जाता है। तदालोक में Additional Performance Guarantee एकरारनामा के पूर्व निम्नप्रकार से लिया जाएगा।
- a) परिमाण विपत्र की दर से 0 से 5 प्रतिशत कम उद्धृत दर वाले निविदा के लिए 0.25 प्रतिशत अतिरिक्त कार्य प्रतिभू (Additional Performance Guarantee) प्रति 01 प्रतिशत उद्धृत कम दर के लिए लिया जायेगा।
- b) परिमाण विपत्र की दर से 5 से 15 प्रतिशत कम उद्धृत दर वाले निविदा के लिए 0.5 प्रतिशत अतिरिक्त कार्य प्रतिभू (Additional Performance Guarantee) प्रति 01 प्रतिशत उद्धृत कम दर के लिए लिया जायेगा।
- c) परिमाण विपत्र की दर से 15 से 20 प्रतिशत कम उद्धृत दर वाले निविदा के लिए 01 प्रतिशत अतिरिक्त कार्य प्रतिभू (Additional Performance Guarantee) प्रति 01 प्रतिशत उद्धृत कम दर के लिए लिया जायेगा।
- d) परिमाण विपत्र की दर से 20 प्रतिशत से उपर कम उद्धृत दर वाले निविदा के लिए 02 प्रतिशत अतिरिक्त कार्य प्रतिभू (Additional Performance Guarantee) प्रति 01 प्रतिशत उद्धृत कम दर के लिए लिया जायेगा।
35. एकाधिक सफल निविदाकारों का उद्धृत दर समान होने पर लॉटरी के आधार पर चुने गये निविदाकार के साथ दर वार्ता की जा सकती है एवं नियमानुसार कार्य आवंटित किया जायेगा।
36. निविदा की विज्ञापित तिथि को यदि किसी कारणवश निविदा प्राप्त करने वाले पदाधिकारी का कार्यालय बन्द हो जाय तब निविदा अगले कार्य दिवस को उसी प्रक्रिया से चार बजे अपराहन तक प्राप्त की जायेगी।
37. किसी कार्य की प्रथम बार एकल निविदा प्राप्त होने पर उसकी पुर्ननिविदा के रूप में आमंत्रित की जायेगी। निविदाकारों द्वारा जमा किये गये अग्रधन की राशि पर किसी प्रकार का सूद निगम द्वारा देय नहीं होगा। संबंधित कार्य का आवंटन उपलब्ध रहने पर ही भुगतान किया जायेगा।
38. कार्य की पूर्ण जानकारी के लिए कार्यपालक अभियंता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम सम्बन्धित कार्य प्रमण्डल या अधीक्षण अभियंता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम अंचल पटना या मुख्य अभियंता बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना से किसी कार्य दिवस के कार्य अवधि में, सम्पर्क किया जा सकता है।
39. संवेदक द्वारा निम्नलिखित आशय का शपथ पत्र मूल में समर्पित करना अनिवार्य है-

(क) मेरे/हमारे द्वारा निम्नलिखित कार्य कराये जा रहे हैं :-

क्र० सं०	कार्य का नाम संस्था का नाम	एकरारनामा की राशि	एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि	अद्यतन स्थिति	अगर एकरारनामा की अवधि के बाद कार्य लम्बित है तो क्यों
1	2	3	4	5	6

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

- उपर्युक्त स्तम्भ-2 में वर्णित कोई भी कार्य अकारण अर्थात् मेरे/हमारे कारण लंबित नहीं है।
- (ख) मेरे/हमारे विरुद्ध किसी प्रकार का आपराधिक मामला किसी भी न्यायालय/थाना में विचाराधीन नहीं है।
- (ग) मुझे/हमें किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी प्रतिष्ठान द्वारा वंचित (Debar), काली सूची में दर्ज (Blacklisted) एवं विगत एक वित्तीय वर्ष के अन्दर एकरारनामा रद्द (Rescind) नहीं किया गया है। एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि के पश्चात् अकारण कार्य लंबित नहीं है, कार्य आवंटन के उपरान्त निर्धारित अवधि में एकरारनामा लंबित नहीं है तथा एकरारनामा के पश्चात् निर्धारित अवधि में कार्य प्रारम्भ कर दिया हूँ। मेरे द्वारा निर्मित / निर्माणाधीन भवनों में गुणवत्ता से संबंधित कोई आरोप नहीं है।
- (घ) मेरा/हमारा कोई निकट संबंधी (अभिप्रेत है पति/पत्नी, माता/पिता, भाई/बहन तथा इस तरह के ससुराल पक्ष के संबंधी) संबंधित कार्य प्रमंडल में कनीय अभियन्ता/सहायक अभियन्ता/ कार्यपालक अभियन्ता/प्रमंडलीय लेखा पदाधिकारी/लेखापाल के रूप में कार्यरत नहीं है।
- (ङ) निविदा में संलग्न सभी प्रमाण-पत्र, कागजात, विवरणी सत्य है।
- (च) उपरोक्त कंडिका 'क', 'ख', 'ग' एवं 'घ' में गलत सूचना देने का दोषी पाये जाने, अथवा कंडिका 'ङ' में कोई अभिलेख असत्य, नकली या जाली पाये जाने पर सक्षम प्राधिकार मेरे उपर विधिसम्मत दण्ड, मेरे निबंधन को काली सूची में दर्ज करने, प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई के लिए स्वतंत्र होंगे।

40. जाँच के क्रम में कोई भी अभिलेख गलत पाए जाने पर बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगा।

मुख्य अभियन्ता  
बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना।

ज्ञापांक- एच0क्यू- 110 2606 पटना, दिनांक- 17/8/21  
प्रतिलिपि- कार्यपालक अभियन्ता/ सहायक अभियन्ता, परिमाण विपत्र शाखा, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, मुख्यालय, पटना को परिमाण विपत्र अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य अभियन्ता  
बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना।

ज्ञापांक- एच0क्यू- 2606 पटना, दिनांक- 17/8/21  
प्रतिलिपि- कार्यपालक अभियन्ता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, कार्य प्रमंडल- पटना, दरभंगा, मगध कैम्प डेहरी ऑन सोन, पूर्णियाँ, राजगीर, भागलपुर एवं मुजफ्फरपुर कैम्प हाजीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

मुख्य अभियन्ता  
बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना।

ज्ञापांक- एच0क्यू- 2606 पटना, दिनांक- 17/8/21  
प्रतिलिपि- अधीक्षण अभियन्ता, कार्य अंचल- 1/2, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना/ श्री जितेन्द्र गिरि, निजी सहायक/ कार्यपालक अभियन्ता, प्रमंडल- मोनटरिंग/विद्युत/सहायक प्रावैधिक सचिव/ निरूपण-1/2/ सचिव/ मुख्य लेखापदाधिकारी/ कार्यालय अधीक्षक (कार्य), बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, मुख्यालय पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य अभियन्ता  
बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना।

ज्ञापांक-एच0क्यू- 2606 पटना, दिनांक- 17/8/21  
प्रतिलिपि- पुलिस अधीक्षक, खगड़िया/मधुबनी/मुजफ्फरपुर एवं नालन्दा को सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य अभियन्ता  
बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना।

reply for  
[Handwritten signatures and initials]